

## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 07.05.2024 को बिहार में लोकसभा आम निर्वाचन, 2024-तृतीय चरण के दौरान 25-खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 150-बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में अवस्थित मतदान केन्द्र संख्या 182 एवं 183 में असामाजिक तत्वों द्वारा EVM क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 495/ES-1/BR-HP/2024 (Re-poll) दिनांक 08.05.2024 द्वारा पुनर्मतदान कराये जाने का आदेश प्राप्त है।

उक्त मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान की तिथि 10.05.2024 एवं मतदान की अवधि 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न निर्धारित की गई है।